संख्याः 04 /2022/2466/चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 05 जनवरी, 2022

विषयः राष्ट्र संत महन्त अवैद्यनाथ जी महराज की मूर्ति के चबूतरे एवं मंच के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-358/सं0नि0-1(150)/2019-20, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड- भरोहिया के प्रांगण में संत महन्त अवैद्यनाथ जी महराज की मूर्ति के चबूतरे एवं मंच का निर्माण कराये जाने हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

3- उक्त संबंध में प्राप्त प्रस्तावानुसार जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड- भरोहिया के प्रांगण में संत महन्त अवैद्यनाथ जी महराज की मूर्ति के चबूतरे एवं मंच का निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि रू0 36.06 लाख (रूपये छत्तीस लाख छः हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्कृति निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-03-प्रेक्षागृह/खुला मंच का निर्माण-24 वृहद् निर्माण कार्य मद से वहन किया जाएगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या- 04 /2022/ 2466/चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7)अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।